

संसदीय कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2005

अधिसूचना

जी.एस. आर. 34.— राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (टेलीफोन सुविधा) नियम, 2005 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;
- (ख) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता की टेलीफोन सुविधा.**— अधिनियम की धारा 6 क की उप-धारा (9) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधाएं निम्नलिखित टेलीफोन काल्स के अधीन होगी :-

- | | |
|----------------------------|--|
| (i) अध्यक्ष | असीमित |
| (ii) उपाध्यक्ष | राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष |
| (iii) सरकारी मुख्य सचेतक | केबिनेट मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष |
| (iv) सरकारी उप मुख्य सचेतक | राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष |
| (v) विपक्ष का नेता | केबिनेट मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष |

4. मान्यता प्राप्त दलों के सचेतक और ग्रुपों के नेताओं को टेलीफोन सुविधाएं:—
अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त दलों के सचेतकों और ग्रुपों के नेताओं को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधाएं निम्नलिखित टेलीफोन काल्स के अधीन होंगे :-

(i) मान्यता प्राप्त दलों के सचेतक	900 काल्स प्रति माह
(ii) ग्रुपों के नेता :	
(क) 2 से 5 तक सदस्य	900 काल्स प्रति दो माह
(ख) 6 से 10 तक सदस्य	1200 काल्स प्रति दो माह
(ग) 11 से 20 तक सदस्य	1500 काल्स प्रति दो माह
(घ) 21 और उससे अधिक सदस्य	राज्य मंत्री को अनुज्ञात काल्स के समकक्ष

5. समितियों के अध्यक्ष को टेलीफोन सुविधा:— अधिनियम की धारा 9 क के अधीन समितियों के अध्यक्ष को उनके निवास पर उपलब्ध टेलीफोन सुविधा 900 टेलीफोन काल्स प्रति दो माह के अधीन होगी।

6. सामान्य:- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अधीन अपने निवास पर कैबिनेट/राज्यमंत्री के समकक्ष टेलीफोन सुविधाओं के हकदार अधिकारी/सदस्य राजस्थान विधान सभा सदस्य (टेलीफोन सुविधा) नियम, 1982 के नियम 3 के अधीन विधान सभा के सदस्य के रूप में टेलीफोन भत्ते का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

(2) यदि टेलीफोन काल्स नियम 3, 4 और यथा स्थिति 5 में यथा उल्लिखित सीमा से अधिक होती है तो सीमा से अधिक रकम सम्बन्धित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा संदत्त की जायेगी।

[संख्या प. 7 (4) संसद/2004]

राज्यपाल के आदेश से,

जी.एस. सर्राफ

शासन सचिव।